

प्रेषक,

आर०वी० सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

चकबन्दी आयुक्त,
उ०प्र० लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-8

लखनऊ : 15 अप्रैल, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्राविधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-605/ए-1/2019-20(बजट आवंटन) दिनांक 03.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-52 के लेखा शीर्षक 2029-भू०-राजस्व-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 खेतों की चकबन्दी-0301-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 1717.72 लाख (रू० सत्रह करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार मात्र) एवं 0302-जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत रू० 56435.21 लाख (पांच अरब चौसठ करोड़ पैतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 58152.93 लाख (रू० पांच अरब इक्यासी करोड़ बावन लाख तिरानबे हजार मात्र) तथा 0302-जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में रू० 2.00 लाख (रू० दो लाख मात्र) की धनराशि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में अंकित दिशा निर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा० राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य प्रयोजन/कार्यों/मदों पर कदापि नहीं की जायेगी।
- (2) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (3) व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

2- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(आर० वी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या 936(1)/1-8-2019-रा०-8-35/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, चकबन्दी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- राजस्व अनुभाग-6
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-936/1-8-2019-रा०-8-35/2018 दिनांक 15 अप्रैल, 2019 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-52

लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबंदी

0301-मुख्यालय अधिष्ठान

(धनराशि लाख रुपये में)

मद सं०	मानक मद	वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	1264.67	1264.67
03	मंहगाई भत्ता	189.70	189.70
04	यात्रा व्यय	7.50	7.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06	अन्य भत्ते	50.00	50.00
08	कार्यालय व्यय	8.00	8.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.25	4.25
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
14	मोटरगाड़ियों का क्रय	0.00	0.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	1.00	1.00
42	अन्य व्यय	0.20	0.20
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
49	चिकित्सा व्यय	12.00	12.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

51	वर्दी क्रय	0.50	0.50
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	74.40	74.40
55	मकान किराया भत्ता	80.00	80.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	25.00	25.00
	योग (क) मतदेय	1717.72	1717.72

0302-जिला अधिष्ठान

(धनराशि लाख रुपये में)

मद सं०	मानक मद	वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	45263.40	45263.40
03	मंहगाई भत्ता	6789.51	6789.51
04	यात्रा व्यय	30.00	30.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00	20.00
06	अन्य भत्ते	100.00	100.00
08	कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09	विद्युत देय	12.00	12.00
10	जलकर/जलप्रभार	1.00	1.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50.00	50.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	10.00
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	10.00
17	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	40.00	40.00
18	प्रकाशन	0.50	0.50
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	0.50	0.50
42	अन्य व्यय	1.00	1.00
	भारित	2.00	2.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	व्यय		
45	अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	4.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.50	4.50
49	चिकित्सा व्यय	106.00	106.00
51	वर्दी क्रय	2.00	2.00
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2662.80	2662.80
55	मकान किराया भत्ता	1000.00	1000.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	300.00	300.00
योग (ख) मतदेय		56435.21	56435.21
भारित -42-अन्य व्यय		2.00	2.00
	कुल योग (क + ख) मतदेय	58152.93	58152.93
	भारित	2.00	2.00

(आर० वी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।